न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 158/2023

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. पुराराम पुत्र खुमाराम 2. नारणाराम पुत्र खुमाराम जातियान जाट, निवासीगण बायतू भीमजी, तहसील बायतू जिला बाडमेर।		1. विरधाराम पुत्र सोनाराम 2. मेहराराम पुत्र सोनाराम 3. खुमाराम पुत्र सोनाराम 4. अचलाराम पुत्र सोनाराम 5. मंगलाराम पुत्र सोनाराम जातियान जाट, निवासीगण बायतू भीमजी, तहसील बायतू जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 21.05.2018 जो उपखंड अधिकारी बायतू के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 315/2018 अनवान बिरधाराम बनाम हीराराम में पारित किया।

उपस्थितिः–

1. **श्री तेजाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।**
2. **रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना तामीली के अनुपस्थित है।**

निर्णय

दिनांक 04 मार्च, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता पांच के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बायतू के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर उनकी खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बायतू भीमली के ख0सं0 114, 133, 698/114 तथा ख0सं0 698/109, 700/109, 701/109 ग्राम धारणा धारा एवं ख0सं0 264, 190 ग्राम गेहूवाला एवं ख0सं0 138 ग्राम बनिया धोरा की रकबा भूमि की पक्की नेखमबन्दी करने हेतु आवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2018 के द्वारा उक्त खसरान भूमि की पत्थरगढी खेतों के चारो तरफ सेढा पडौसियों को नोटिस देने के बाद, दोनों पक्षों की उपस्थिति में करने के निर्देश दिये।उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

रेस्पोडेन्टस बावजूद तामीली सूचना के अनुपस्थित है। उपस्थित अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा की गई एकपक्षीय बहस को सुना गया। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अधिवक्ता ने अपील पेश करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी तथा धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्रों में यह कथन किया कि अपीलान्ट की ग्राम बायतू भीमजी के ख0सं0 659/13 अन्य खसरों की भूमि स्थित है। उक्त खेत के पस में सीमा रेखा पर रेस्पोडेन्टस की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 133 स्थित है व उक्त ख0सं0 133 के पास अन्य खसरों की सीमा रेखा पर पत्थरगढी करवाने हेतु रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन अपीलार्थी को पडौसी को खातेदार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया और आदेश पारित करवा लिया। उक्त आदेश की जानकारी राजस्व अधिकारियों के द्वारा मौके पर दिनांक 25.4.2019 पर आने पर दी गई तब आदेश की नकले प्राप्त करते हुए यह अपील पेश की गई है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील पेश करने की अनुमति दी जावे एवं उक्त सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार की जावें। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को तथ्या धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील पेश करने की अनुमति दी जाती तथा अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्टस ने धारा 111, 128 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में सिर्फ अपने खसरों का ही उल्लेख किया है, अपीलान्ट के खसरे का कोई उल्लेख नहीं किया, मात्र पडोसियों के व अपने बीच ही पत्थरगढी करने का कथन किया है और न ही उन्हें पक्षकार बनाया गया। और न ही अन्य पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है। ऐसे में रेस्पोडेन्टस का उक्त प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं था। इस प्रकार अपीलान्टस व अन्य पडौसी खातेदारों को सुने बिना ही पुलिस सुरक्षा में पत्थरगढी करने का अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कर दिया गया है जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उल्लेखित अपीलान्टस के खसरान भूमि व रेस्पोडेन्टस की खसरान भूमि के मध्य माठ बनी हुई है तो ऐसे में सीमा को लेकर कोई विवाद ही नहीं रहा है और न ही कभी विवाद की स्थिति पूर्व में उत्पन्न हुई थी। ऐसे में किसी प्रकार का विवाद नहीं होने के कारण धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण पेश नहीं नहीं हो राकता था। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण को कैम्प कोर्ट में ले जाकर निस्तारित किया गया है, जो आपसी सहमति नहीं होने से निस्तारण योग्य था ही नहीं। अधीनस्थ न्यायालय में भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। इस अपील में अन्य पडौसी खातेदार से

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिये उन्हें अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये ही पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधि विपरित होने से निरस्त किया जावे एवं अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावें।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता पांच की ओर से अपनी खातेदारी के अलग–अलग ग्रामों में आये हुए उल्लेखित खेत खसरान की भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतू के राजस्व कोर्ट ग्राम नया सोमेसरा के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए मजमेआम में मोजीज व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करते हुए रेस्पोडेन्टस के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्टस के उल्लेखित खसरान भूमि की पत्थरगढी समस्त हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस देकर सुनने के उपरान्त दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में पक्की नेखमबन्दी करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसे में अपीलान्टगण को चाहिये था कि अपीलाधीन आदेश की राजस्व कर्मचारियों के द्वारा मौके पर की जाने वाली पत्थरगढी कार्यवाही के समय उपस्थित रहते तथा यदि किसी प्रकार की आपत्ति या विधि विपरित कार्यवाही होने पर अपील पेश करने की कार्यवाही करते। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस के द्वारा अपनी अपील में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है कि उनकी भूमि भी अपीलाधीन आदेश की पालना से मौके पर कम–ज्यादा हो गई है या रेस्पोडेन्टस द्वारा किसी प्रकार से कब्जा किया जा रहा हो। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार अपीलान्टस की अपील सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, बायतू द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2018 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 04 मार्च, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर